

उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ]

फंडामेंटल रूल 56 का संशोधन करने और तदधीन या उसके संबंध में किये गये कतिपय कार्यों का बंधीकरण करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2--फाइनेंशियल हँड बुक, खंड 2, भाग 2 से 4 तक, में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 का संशोधन करने के लिए (ए) में, जिसे आगे उक्त नियम 56 (ए) कहा गया है, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड और स्पष्टीकरण रख दिये जायें, और 1 जनवरी, 1964 से रखे गये समझे जायें, अर्थात्:--

फंडामेंटल रूल 56 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) नियुक्त प्राधिकारी, किसी भी समय, कोई कारण दिये बिना, किसी सरकारी सेवक से तीन महीने की नोटिस पर अथवा ऐसे नोटिस की कुल या आंशिक अवधि के स्थान पर उसके बदले में वेतन पर, उसके 55 वर्ष अथवा ऐसी कम आयु, जिसमें ऐसी नोटिस की अवधि, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, जोड़ कर 55 वर्ष हो जाय, प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, किन्तु ऐसी नोटिस की पूरी अथवा आंशिक अवधि को, जिसके बदले में वेतन दिया जाय, सरकारी सेवक को टेय पेंशन एवं मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान का आकलन करने के प्रयोजन से, किन्तु अन्य किसी प्रयोजन से नहीं, उसकी अर्ह सेवा में जोड़ा गया समझा जायगा; अथवा

(2) सरकारी सेवक 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त, नियुक्त प्राधिकारी को 3 माह का नोटिस देने के बाद, स्वेच्छया सेवा निवृत्त हो सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध आनुशासिक कार्यवाही विचाराधीन या विवेक्षित हो, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिए दिया गया नोटिस तब प्रभावी होगा यदि वह नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, किन्तु शर्त यह है कि किसी विवेक्षित आनुशासिक कार्यवाही की दशा में, सरकारी सेवक को इसकी सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जाय ;

(2) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किसी सरकारी सेवक द्वारा एक बार दिया गया नोटिस उसके द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं लिया जायगा ।

स्पष्टीकरण--(1) नियुक्त प्राधिकारी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन सरकारी सेवक को सेवा निवृत्त करने का, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट है, निर्णय तब लेगा यदि उक्त प्राधिकारी को ऐसा करना लोक-हित में प्रतीत हो, और राज्य सरकार समय-समय पर, ऐसे कार्यकारी अनुदेश जारी कर सकती है जिसमें तदर्थ पथ-प्रदर्शक सिद्धांत इंगित हों, किन्तु यहां पर दी गयी किसी बात से इस बात का, कि ऐसा निर्णय लोक-हित में लिया गया है, आदेश में उल्लेख करने की, अथवा ऐसे अनुदेशों के प्रकाशन करने की, अपेक्षा न समझी जायगी ।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

(2) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, लोक-हित में लिया गया उपधारित किया जायगा।

(3) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक को सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गयी हो या सरकारी सेवक सेवा निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्तियाँ करने का अधिकार हो।"

#### वैधीकरण

3—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त नियम 56 (ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत किया गया कोई निर्णय या आदेश, जारी किये गये कार्यकारी अनुदेश, या दिया गया कोई नोटिस या नोटिस के बदले में दिया गया या भुगतान किया गया या भुगतान के लिए आदिष्ट वेतन, अपेक्षित या कार्यान्वित सेवा निवृत्ति अथवा स्वीकृत या भुगतानकृत पेंशन भी है, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उक्त नियम 56 (ए) के अधीन या उसके संबंध में किया गया या की गयी और सदैव से किया गया या की गयी समझे जायगी, और वे उतने ही बंध समझे जायेंगे तथा सदैव से बंध रहे समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या  
56, 1969 का  
निरसन

4—उत्तर प्रदेश फ्रंटामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

5.

**THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL RULE 56 (AMENDMENT AND  
VALIDATION) ACT, 1970**

(U. P. ACT No. 5 OF 1970)

[\*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Sanshodhan tatha Vaidhikaran) Adhiniyam, 1970.]

AN  
ACT

to amend Fundamental Rule 56 and to validate certain actions taken thereunder or in relation thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Act, 1970.

Short title.

2. In clause (a) of Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, published in the Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV, hereinafter referred to as the said Rule 56(a), for the existing provisos the following provisos and Explanation shall be substituted, and be deemed to have been substituted with effect from January 1, 1964, namely :—

Amendment of  
Fundamental  
Rule 56.

“Provided that—

(i) the appointing authority may, at any time, without assigning any reason, require the Government servant to retire on three months' notice or pay in lieu of the whole or part thereof, after he attains the age of 55 years, or such lesser age as together with the period of notice in lieu of which the pay is substituted would aggregate to 55 years, so, however, that in the case of pay being given in lieu of the whole or part of such notice the said period shall stand added to the government servant's qualifying service for the purposes of calculating the pension and the death-cum-retirement gratuity due to him and for no other purpose ; or

(ii) the government servant may, after attaining the age of 55 years voluntarily retire after giving three months' notice to the appointing authority :

Provided further that—

(i) the notice of voluntary retirement given under the first proviso by a government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated shall be effective only if it is accepted by the appointing authority, subject to the condition that in case of a contemplated disciplinary proceeding, the government servant is so informed before the expiry of the notice ;

(ii) the notice once given by a government servant under the first proviso shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

*Explanation*—(1) The decision of the appointing authority under the first proviso to require the government servant to retire as specified therein shall be taken if it appears to the said authority to be in the public interest, and the State Government may, from time to time, issue executive instructions indicating guiding principles in that behalf, but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the order, of such decision having been taken in the public interest or to require the publication of such instructions.

(2) Every such decision shall, unless the contrary is proved, be presumed to have been taken in the public interest.

(3) ‘Appointing authority’ means the authority which has the power to make substantive appointments to the post or service from which the government servant is required or wants to retire.”

---

(\*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 3, 1970.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 10, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 13, 1970.)

(Received the Assent of the Governor on March 31, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh-Gazette Extraordinary*, dated April 1, 1970.)

**Validation.**

3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under or in relation to the said Rule 56 (a) before the commencement of this Act, including any decision or order made, executive instructions issued, or notice or pay in lieu of notice given or paid or ordered to be paid, retirement required or effected, or pension sanctioned or paid, shall be deemed to be and always to have been done or taken under or in relation to the said Rule 56(a) as amended by this Act and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

**Repeal of Uttar  
Pradesh Ordinance  
No. VI of 1969.**

4. The Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Ordinance, 1969, is hereby repealed.